International Journal of Applied Research 2018; 4(1): 114-116

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(1): 114-116
www.allresearchjournal.com
Received: 10-11-2017
Accepted: 19-12-2017

कुमारी मनीषा
शोधार्थी, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविध्यालय मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
कुमारी मनीषा
शोधार्थी, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविध्यालय मधेपुरा, बिहार, भारत

स्वातंत्र्योत्तर भारत में दलितों का विकास: एक ऐतिहासिक विश्लेषण

कुमारी मनीषा

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन प्रमुख रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में हुए दलितों के विकास पर आधारित है। जिसके अंतर्गत दलितों के विकास में बिहार तथा भारत की राजनीति के प्रयासों का विश्लेषण सम्मिलित किया गया है। आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर किया गया यह विश्लेषण दलितों के विकास संबंधी अवधारणाओं के विकास हेतु एक बेहतर विकल्प सिद्ध होगा।

मूल शब्द: डॉ भीमराव अंबेडकर, दलित चेतना, अनुसूचित जातियां, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग।

प्रस्तावना
1850 से 1936 तक ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक दबे कुचले वर्ग के रूप में तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जाति के नाम से सरकारी आंकड़ों में दर्ज दलित वर्ग का विकास भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन राजनेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप ऐसी उम्मीद थी कि दलितों को भारत में जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सम्मान मिलेगा परंतु इतनी दशक बीत जाने के पश्चात भी यह स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारी तंत्र की विफलता का परिणाम है कि दलितों के विकास हेतु किए गए दावे पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पाए हैं। जिसका परिणाम दलितों के आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर किए जा रहे शोषण के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,17,46,330(1), 332(2) तथा अनुच्छेद 335 में दलितों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 8,29,98509 है जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों का है जिनकी कुल आबादी 1,30,48,608 है प्रतिशत के हिसाब से 15.7% हिस्सेदारी अनुसूचित जातियों की है जिसके अंतर्गत राज्य की 22 निम्न जातियों को रखा गया है।

1. **बंतर,**
2. **बौरी,**
3. **मोगता,**
4. **भुइया,**
5. **चौपाल,**
6. **डोबगर,**
7. **डोम्ब,**
8. **घासी,**
9. **हलालखोर,**
10. **हाड़ी,**
11. **कंजर,**
12. **कुरारिया,**
13. **लालबेगी,**
14. **मुसहर,**
15. **नट,**
16. **पन,**
17. **रजवार,**
18. **तुरी,**
19. **पासी,**
20. **धोबी,**
21. **पासवान,**
22. **चमार।**

अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दलितों के विकास में सरकारी प्रयासों का आकलन करना है जिसके अंतर्गत बिहार तथा भारत में रह रहे दलितों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को आधार बनाया गया है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निम्न बिंदुओं पर आधारित है।

दलित चेतना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

स्वतंत्रता के पश्चात दलितों के विकास संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरीखे नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूपा दलितों की समस्याओं की ओर देश तथा समाज का ध्यान जाने लगा । दिन प्रतिदिन स्वतंत्रता के लिए उदारवाद से उग्रवादी प्रयास होने लगे थे पूर्ण स्वराज्य की मांग उठने लगी थी। कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन और राजनीतिक गतिरोध समाप्त कराने की दृष्टि से एवं भारत को उत्तरदाई शासन सौंपने के लिए ब्रिटेन सरकार ने गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जिसमें डॉक्टर अंबेडकर दलित प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल हुए और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई दलितों के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए डॉक्टर अंबेडकर लंदन में धर्म युद्ध में सम्मिलित हुए । डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से दलित वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की इस मांग का उद्देश्य दलितों के प्रतिनिधि सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठकर दलितों के हितों में सोचेंगे तथा उनके समस्याओं को हल करेंगे था। और इस दिशा में वास्तविक प्रयास प्रारंभ हुए।देश आजाद होते होते दलित आंदोलन की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी । डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप 1956 तक उनके लाखों अनुयायियों द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई । जिनका प्रमुख आधार डॉक्टर अंबेडकर के अनुभव तथा विचारों से जुड़ा माना जा सकता है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए जाने के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि, "मैंने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया जो मेरे वश में नहीं था किंतु मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा।" [3]

आज वर्तमान राजनीति में देश के नेताओ के प्रयास दलितों के विकास में लगभग नगण्य साबित हुए हैं, आज भी दलित वर्ग बेहद पिछड़े वर्गों के अंतर्गत गिना जाता है। बिहार में आज भी दलितों की स्थिति निम्न स्तर की बनी हुई है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव इसके अतिरिक्त सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक प्रभाव दलित महिलाओं तथा बच्चों पर सबसे अधिक दिखाई देता है। सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से दलित लोगों का हनन होता रहता है। जिसके कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं।

स्वतंत्रता के बाद दलितों का विकास

लगभग 80% दलित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत 91% दलित भूमिहीन हैं। भूमिहीनता के यह आंकड़े दलितों की गरीबी को दर्शाते हैं। बिहार में लगभग 91 फ़ीसदी सीमांत किसान हैं अर्थात ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। दलितों के संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि बिहार राज्य में एक भी दलित ऐसी स्थिति में नहीं है जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। सरकारी आंकड़ों को आधार मानें तो लगभग 90% भूमिहीन दलितों को भूमि उपलब्ध करा दी गई है परंतु यह आंकड़े जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं। दलितों की लगभग 80% आबादी 4% भूमि जोत पर आधारित है तथा दैनिक जीवन यापन के लिए दलित वर्ग मजदूरी पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त लगभग तीन चौथाई दलित ऐसे हैं जिनके घरों में पेयजल की सुविधाओं का अभाव है। इसी प्रकार आधे से अधिक दलित एक कमरे के बने घरों में रहते हैं। जिसमें से मात्र 7% दलितों के पास ही ईटों से बने पक्के मकान उपलब्ध है। दलितों से जुड़े अधिकतर गांवों में बिजली सुविधाओं का पर्याप्त अभाव है वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानें तो 10% से भी कम दलित आवासों में बिजली की उपलब्धता पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी दयनीय है। स्वास्थ्य सुविधाओं से अभावग्रस्त तथा शिक्षा से वंचित दलित परिवारों की स्थिति आज भी अत्यंत चिंतनीय बनी हुई है। जिसे तालिका 1 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

तालिका 1: दलितों की सामाजिक स्थिति

क्रम संख्या	स्थिति	प्रतिशत
1	एक कमरे में रहने वाले परिवार	54
2	घरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता	30
3	घरों में बिजली की उपलब्धता	10
4	घरों में शौचालय	10

स्वतंत्रता के कई दशक बीत जाने के बाद भी दलितों पर राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा के मामले बढ़ते गए हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की वर्ष 2014 की रिपोर्ट को आधार मानें तो इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि प्रारंभ से ही दलितों का शोषण होता आया है परंतु सरकारी प्रयासों की विफलता आज भी निराधार नजर आती है।

वर्ष 2014 में दलित हिंसा के 47,064 मामले दर्ज हुए। जबकि वर्ष 2013 में 39,408 तथा 2012 में 33,255 मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2013 में अपराध की दर 19.57% थी जो कि वर्ष 2014 में बढ़कर 23.4 प्रतिशत हो गई। अतः इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दलितों को मुख्यधारा से जोड़ने में सरकारी प्रयास विफल रहे हैं। बिहार दलितों की हिंसा के मामलों में अग्रणी रहा है दलितों की हिंसा के मामलों को राज्यों की दृष्टि से देखें तो उत्तर

प्रदेश तथा राजस्थान के पश्चात बिहार तीसरा बड़ा राज्य है जहां दलितों का शोषण आज भी जारी है।

तालिका 2: दलितों के प्रति अपराध के मामले राज्यवार वर्ष 2014

क्रम संख्या	राज्य	दलितों के प्रति अपराध के मामले
1	उत्तर प्रदेश	8075
2	राजस्थान	8025
3	बिहार	7893

तालिका2 में दिए गए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश तथा भारत के अन्य राज्यों में दलितों के प्रति अपराध के मामले निरंतर वृद्धि कर रहे हैं जो सरकारी तंत्र की नाकामी को सिद्ध करते हैं।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2014 में दर्ज मामले 47,124 है । जिसके अन्तर्गत 40,300 मामले अनुसूचित जातियों के तथा 6820 मामले अनुसूचित जनजातियों के है।

जबकि वर्ष 2013 से तुलनात्मक समीक्षा की जाए तो इसमें बढ़ोतरी दिखाई देती है । जिसमे अनुसूचित जातियों के कुल मामले 39,346 और अनुसूचित जातियों के 6,768 मामले दर्ज हुए थे । (सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता विभाग)

दलितों पर अत्याचारों की इस भयावह स्थिति पर कटाक्ष करते हुए राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग की वर्ष 2010 की रिपोर्ट कहती है कि दलित चेतना की जागृति के बीच दलितों के प्रति हिंसा के आंकड़े भी बढ़े हैं। जहा एक ओर दलितों के विकास एवम् प्रगति की बात की जा रहीं है वहीं दूसरी ओर दलितों के प्रति हिंसा का ग्राफ नीचे नहीं आ पा रहा है।बल्कि हिंसा का स्वरूप और अधिक विकृत और बर्बर होता जा रहा है । हर 18 मिनट में एक दलित पर अपराध घटित हो रहा हैं, रोज तकरीबन तीन महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही है । दो दलित मारे जा रहे है, दो दलितों का घर जला दिया जाता है ।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में दिए गए विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आजादी के इतने वर्षो बाद भी दलितों के विकास का दावा करने वाली सरकारी नीतियां प्रभावी रूप से सशक्त नहीं बन सकी है जिससे आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर दलित वर्ग बाकी वर्गों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है । ऐसी स्थिति में सरकार को एक प्रभावी राष्ट्रीय नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है ताकि भारत में ऊंच नीच वाली अथवा छुआछूत वाली धारणाओं को समाप्त कर दलितों का पर्याप्त विकास सम्भव हो पाए । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के वर्तमान आंकड़ों के विश्लेषण के बाद यह ज्ञात होता कि इन वर्गों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना एक विकासशील देश के लिए बड़ी चुनौती है जिसके प्रति सबकी एकजुटता और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 2014
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 2010
3. गणेश मंत्री, गांधी और अंबेडकर पृष्ठ 15
4. राजकिशोर, दलित राजनीति की समस्याएं, वाणी प्रकाशन 2006
5. राज भूषण उपाध्याय, बिहार में दलित चेतना का विकास, जानकी प्रकाशन 2009